झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/890/2015 खंड–II– .... /राँची, दिनांक :– ....

प्रेषक,

कमल किशोर सोन
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत उत्तर कोयल परियोजना के भू–अर्जन कार्यों के भुगतान हेतु रू० 6099.46 लाख (रूपये साठ करोड़ नीनानवे लाख छियालीस हजार) मात्र की राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आदेश स्वीकृत।

2. उत्तर कोयल परियोजना, झारखण्ड एवं बिहार की एक संयुक्त पुरानी सिंचाई योजना है। वर्षों से लंबित इस योजना के अवशेष कार्यों को कतिपय बदलाव के साथ पूरा करने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। योजना के संयुक्त अवयवों पर होने वाले व्यय एवं state specific कार्यों पर होने वाले व्यय का 60% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। State specific कार्यों पर होने वाले व्यय का 40% respective state द्वारा किया जायेगा।

3. योजना के अवशेष कार्यों को अगले तीन वर्षों में पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखण्ड द्वारा वर्ष 2017–18 में रू० 6099.46 लाख का भुगतान भू–अर्जन कार्यों हेतु किया जाना है।

4. उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा रू० 5133.06 लाख का आवंटन रूपांकण प्रमंडल सं०–2, मेदिनीनगर एवं रू० 966.40 लाख जलपथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन को पत्रांक–113 दिनांक 05.10.2017 द्वारा निर्गत किया गया है, जो योजना के भू–अर्जन पर होने वाले व्यय हेतु निर्धारित है। यह राशि कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं०–2, मेदिनीनगर एवं जलपथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी उत्तर कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को उपलब्ध कराया जाना है ताकि भू–अर्जन मुआवजा का कार्य चलता रहे। इस हेतु राशि की एकमुस्त अग्रिम निकासी की आवश्यकता है।

5. वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत ज्ञाप संख्या– एम०–4–05/98–2561(वि०)(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–15 एवं 16 तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक– 1000 दिनांक– 10.10.2017 में किये गये अनुरोध के आलोक में उत्तर कोयल परियोजना के भू–अर्जन मुआवजा कार्यों हेतु कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं०–2, मेदिनीनगर एवं जलपथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन को एक मुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	प्रमंडल का नाम	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता	स्वीकृत अग्रिम की राशि
1	2	3	4
1.	कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०–2, मेदिनीनगर	विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर	रू० 5133.06 लाख
2.	कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन		रू० 966.40 लाख
	कुल योग :–		**रू० 6099.46 लाख**

7. अग्रिम निकासी की राशि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आवंटन में वर्णित मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–64– छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड– 49P470180789640545 के अन्तर्गत भारित है।
8. अग्रिम निकासी हेतु आवंटित राशि वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत है तथा संबंधित अवधि में राशि व्यय करने के लिये विभाग को सक्षमता है।
9. अग्रिम निकासी प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की अनुमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(कमल किशोर सोन)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/890/2015 खंड–II– .... /राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह०/–

(कमल किशोर सोन)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/890/2015 खंड–II– .... /राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०–2, मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(कमल किशोर सोन)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/890/2015 खंड–II– .... /राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

(कमल किशोर सोन)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/890/2015 खंड–II– 931 /राँची, दिनांक :– 20.12.2017

प्रतिलिपि :– वेब मेनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कमल किशोर सोन)